न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 161/2017
दायर दिनांक – 04/12/2017
निर्णय दिनांक – 12/06/2018

अनवान

1. झमकु बाई पिता मियाचन्द पत्नि मांगीलाल जाट कुण्डिया हाल निवासी जवासिया तहसील रेलमगरा

प्रार्थीया

विरूद्ध

1. सोसर पत्नि मियाचन्द जाट कांगणी तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. वरदी पत्नि देवीलाल जाट सरगावं तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीया द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत किया कि वादीया ने एक मुल वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् विपक्षीगण के विरूद्ध सच्चे एवं ठोस आधारो पर आप न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। जिससे प्रार्थीया को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे है। यदि प्रार्थीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीया को अपुरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नगदी मे सम्भव नही होगी व प्रार्थीया अपने हक अधिकारों से वांछित हो जायेगी। इसके विपरित विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की अवस्था मे किसी भी प्रकार की क्षतिकारित नही होगी। ग्राम कुण्डिया तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द मे आराजी संख्या 98 रकबा 0–06 बिघा किस्म आ.चा. , आराजी संख्या 1084 रकबा 0–09 बिघा, आराजी सं 953 रकबा 02–02 बिघा, आराजी संख्या 954 रकबा 09–06 बिघा , आराजी संख्या 237 रकबा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

09 बीघा , आराजी संख्या 957 रकबा 05–11 बीघा स्थित हे। प्रमाण मे नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की फोटोप्रति प्रस्तुत है। कलम संख्या 03 मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीया की माता वख्तावरी देवा मियाचन्द जाट का नाम सयुंक्त खातेदार के रूप मे राजस्व रेकार्ड में दर्ज था। आराजी संख्या 98 मे प्रार्थीया की माता वख्तावरी का एंव विपक्षी संख्या 1 व 2 का सयुंक्त रूप से 1/4 हिस्सा, आराजी संख्या 1084 में प्रार्थीया की माता वख्तावरी एंव विपक्षी संख्या 01 व 02 का 1/6 हिस्सा , आराजी संख्या 953 व 954 में प्रार्थीया की माता वख्तावरी एंव विपक्षी संख्या 01 व 02 का 1/4 हिस्सा, आराजी संख्या 237 में प्रार्थीया की माता वख्तावरी एंव विपक्षी संख्या 01 व 02 का सयुंक्त रूप से 1/3 , आराजी संख्या 957 में प्रार्थीया की माता वख्तावरी एंव विपक्षी संख्या 01 व 02 के सयुंक्त खातेदारी होकर उक्त हिस्से अनुरूप राजस्व रेकार्ड मे नाम अंकित थे। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 में वर्णित आराजीयात मे हिस्सा प्रार्थीया की मां को प्रार्थीया की मां के पति स्व. मियाचन्द जी से विरासत के रूप मे प्राप्त हुआ था। प्रार्थीया की माता वख्तावरी के हिस्से की भूमियों का उपयोग उपभोग वख्तावरी ने अपने जीवनकाल मे स्वतंत्र रूप से किया तथा प्रार्थीया अपने हिस्से की उक्त भूमियों का एकमात्र विधिक स्वामिनी थी। जिससे उक्त भूमियों मे वख्तावरी के हिस्से की भूमि को वख्तावरी को विक्रय, रहन, बह, बक्षीश , वसीयत इत्यादि द्वारा स्थानान्तरित करने का पूर्ण रूप से विधिक अधिकार प्राप्त था। वख्तावरी देवी की वृद्धावस्था मे सेवा चाकरी, रोटी, कपडा, बिमारी मे देख रेख करना ,समय पर दवाईया देना ,नहला, धुलाना आदि समस्त कार्य वख्तावरी की जायन्दा पुत्री प्रार्थीया ने की। करीब 20 वर्ष तक प्रार्थीया ने निस्वार्थ भाव से अपनी माता वख्तावरी देवी की सेवा चाकरी की जिससे वख्तावरी देवी ने प्रार्थीया की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपने विधिक अधिकार प्रयोग करते हुए दिनांक 22/09/2000 को वख्तावरी देवी ने प्रार्थीया केपक्ष में स्वस्थचित एंव स्थिरचित बुद्धि की अवस्था मे वख्तावरी देवी ने उसकी समस्त चल अचल सम्पत्ति की एक रजिस्टर्ड वसीयत प्रार्थीया के पक्ष मे निष्पादित की। जिससे वख्तावरी की समस्त चल अचल सम्पत्ति की एकमात्र विधिक अधिकारिणी वख्तावरी की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया थी। वख्तावरी की मृत्यु पश्चात वख्तावरी की अचल

21

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

भूमि अर्थात वादग्रस्त आराजीयात मे जो हिस्सा वख्तावरी देवी के नाम था उक्त हिस्सा राजस्व कर्मचारी एंव ग्राम पंचायत कुंण्डिया द्वारा विपक्षी संख्या 01 व 02 से मिलीभगत करते हुए प्रार्थीया के पक्ष मे वख्तावरी देवी की सम्पत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत होने के बावजुद एंव उक्त ओथोरिटी को वसीयत की जानकारी होने के बावजुद अपने अधिकारों से परे जाकर अवैधानिक तरीके से विपक्षी संख्या 01 व 02 के नाम वख्तावरी के हिस्से की वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 01 व 02 के नाम कर दी। इस प्रकार विपक्षी संख्या 01 व 02 ने नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से ग्राम पंचायत एंव पटवार हल्का से मिलीभगत करते वख्तावरी देवी के हिस्से की भूमियां अपने नाम करवा ली जिसका कि उनको कानूनन अधिकार नही है। विपक्षी संख्या 01 व 02 ने अवैध तरीके से एंव नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से प्रार्थीया के हक अधिकार की भूमि को उनके नाम पर करवाकर प्रार्थीया क वादग्रस्त भूमियों मे प्राप्त हक अधिकारों का हनन करते हुए प्रार्थीया को नुकसान कारित किया। जिससे वादग्रस्त भूमियों मे वख्तावरी देवी का जो हिस्सा विपक्षीं संख्या 01 व 02 के नाम पर अन्तरित हुआ है। उसे निरस्त किया जाकर उक्त भूमि प्रार्थीया अपने नाम घोषित करोन हेतू प्रार्थीया की और से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजी मे वख्तावरी देवी के हिस्से की जो भूमि जरिये रजिस्टर्ड वसीयत पत्र प्रार्थीया को प्राप्त हुई उक्त भूमियों पर प्रार्थीया आज भी काबिज होकर उनको उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। किन्तु विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा अवैध तरीके से प्रार्थीया के हिस्से की भूमि को अपने नाम करवाने के बाद से उक्त भूमि से प्राथीया बेदखल करने हेतू आमादा है तथा प्रार्थीया से लडाई झगडा करके भूमिया हथियाना चाहती है। जिससे विपक्षी संख्या 01 व 02 को प्रार्थीया के हक अधिकार की भूमियों पर कोई बाधा, हस्तक्षेप एंव अतिक्रमण नही करे इस हेतू स्थाई निषेधाज्ञा के जरियें प्रतिबंधित किया जाना न्यायहित मे अति आवश्यक है। हिन्दु उत्तराधिकर अधिनियम 1956 की धारा 14 के अनुसार हिन्दु नारी की सम्पत्ति उसकी आत्यन्कितः अपनी सम्पति होगी जो सम्पत्ति नारी को वैधानिक तरीके से प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रार्थीया की माता वख्तावरी देवी को वादग्रस्त सम्पत्ति अपने पति से विरासत में प्राप्त हुई थी। जिससे उक्त सम्पत्ति की वह एकमात्र

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

थी। जिससे उसे उसकी सम्पत्ति को अपनी ईच्छानुसार व्ययन करने का विधिक अधिकार था और अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रार्थीया की माता वख्तावरी देवी ने प्रार्थीया के पक्ष मे एक रजिस्टर्ड वसीयत उसकी समस्त चल अचल सम्पत्ति के संबधं मे निष्पादित की थी। जिससे वख्तावरी की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त जायदाद मे वख्तावरी के हिस्से की एकमात्र विधिक अधिकारिणी प्रार्थीया है। प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 01 व 02 को कई मर्तबा भूमियां पुन : प्रार्थीया के नाम पर करवाने हेतू कहा किन्तु विपक्षी संख्या 01 व 02 सहमत नही हुई तथा अवैध तरीके से प्राप्त प्रार्थी के हक अधिकार की भूमियों को खुर्द बुर्द अन्तरण करने पर आमादा होने से प्रार्थना पत्र हेतूक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः कीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर ताकैसला मुलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण मुलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमिया किसी को अन्तरण नही करे तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप या दखलन्दाजी कारित नही करे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली विपक्षीगण की तलबी में विचाराधीन थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत कुण्डिया पर आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर पक्षकारान अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 03 पेरोकार सरकार उपस्थित।

पेरोकार सरकार जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते है। सुना गया एवं पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमियां वादीया के पैतृक सम्पत्तियां है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में प्रत्येक उत्तराधिकारी को अपनी पैतृक सम्पत्तियों में समान अधिकार निहित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में सुविधा, संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में होना सिद्व होता है।

उपखण्ड अधिकारी)

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम कुण्डिया तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द मे आराजी संख्या 98 रकबा 0–06 बिघा किस्म आ.चा. , आराजी संख्या 1084 रकबा 0–09 बिघा, आराजी सं 953 रकबा 02–02 बिघा, आराजी संख्या 954 रकबा 09–06 बिघा , आराजी संख्या 237 रकबा 0–09 बीघा , आराजी संख्या 957 रकबा 05–11 बीघा में उभयपक्ष मुलवाद के निस्तारण तक वर्तमान मौके एवं बोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/06/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कुण्डिया पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा